राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/818-1522 जयपुर,दिनांकः 10.06.2019

अधिसूचना

राज्य की 44 नगरपालिकाओं में आम चुनाव माह नवम्बर, 2019 में सम्पन्न कराये जाने प्रस्तावित है तथा इसके पश्चात् शेष नगरपालिकाओं के चुनाव अगस्त, 2020 एवं आगे समय–समय पर करवाये जाने प्रस्तावित है। उपरोक्त नगरपालिकाओं में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1) एवं 9 को मद्धेनजर रखते हुए किस नगरपालिका में कितने वार्ड बनेगें इसकी सूचना आपको अधिसूचना दिनांक 10.06.2019 से प्रेषित की जा चुकी है।

सभी नगरीय निकायो में निर्धारित सीटों की जनसंख्या के अनुसार वार्डो का गठन एवं पुनर्सीमांकन का कार्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नगर नियोजक के सहयोग से नियत अवधि में करना है। इसके लिए राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3 के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी, पालिका में पदस्थापित अथवा इस हेतु अधिकृत नगर नियोजक एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी का भी सहयोग लेकर कार्य करेगा। वार्डो के गठन एवं पुनर्सीमांकन के संबंध में पूर्व में जारी राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3 के अनुरूप मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपनी–अपनी पालिका क्षेत्र में वार्डो के गठन के संबंध में वार्डों की सीमा निर्धारित करेगें तथा सीमा निर्धारण के प्रारूप एव नक्शे पर आपत्ति आमंत्रित करेगे तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करेगे। यह कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना है। वार्डो के सीमा निर्धारण एवं उक्त प्रारूप के प्रकाशन के पश्चात् वार्डो के गठन के संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी उनके समक्ष प्रस्तुत सभी आपत्तियों को मय संलग्न दस्तावेजो के अपनी टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को विशेष वाहन के द्वारा प्रेषित करेगे। तत्पश्चात् राज्य सरकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी से प्राप्त वार्डो के गठन के प्रस्ताव पर विचार कर वार्डो के सीमांकन को अन्तिम रूप प्रदान करेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये कौनसे वार्ड आरक्षित होगें यह भी निर्धारित प्रकिया के अनुरूप मुख्य नगरपालिका अधिकारी चिन्हित करेगें।

इस संबंध में विस्तृत कार्यकम की सूचना संलग्न कर भेजी जा रही है। यह कार्य संलग्न कार्यक्रम के अनुसार नियत अवधि में सम्पन्न करवाया जाना सुनिश्चित करेगे एवं इसकी सूचना इस विभाग को भी समय–समय पर प्रेषित करेगे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांकः 10.06.2019

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/819-1522
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितहै :–

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
03. निजी सचिव, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
04. सभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर, राजस्थान।
05. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
06. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
07. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समस्त राजस्थान।
08. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
09. नगर नियोजक समस्त नगरीय निकाय राजस्थान।
10. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
12. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राज पत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: एफ.10( )चुनाव/जन/स्वाशा/14/2195 जयपुर,दिनांक: 10/6/19

प्रेषकः–

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग,
राज0 जयपुर।

प्रेषितिः–

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः आगामी नगरपालिका चुनाव हेतु नगर पालिकाओं में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अधिसूचना दिनांक 10.06.2019 के अनुरूप वार्डो के पुनर्गठन बाबत्।

....

1. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 एवं 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर नगर निकायों में वार्डो की कुल संख्या का पुनः निर्धारण अधिसूचना कमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/दिनांक 10.06.2019 से किया गया है **(परिशिष्ठ–1)**। नगर पालिकाओं के चुनाव माह अगस्त 2019 व आगे समय –समय पर आयोजित किये जाने है। नगर पालिकाओं में अधिसूचना दिनांक 10.06.2019 के अनुरूप वार्डो की संख्या निम्न प्रकार हैः–

क.सं.	नगर निगम /परिषद/ पालिका का नाम	नगरपालिका की कुल जनसंख्या	वर्तमान में वार्ड संख्या	अधिसूचना दिनांक दिनांक 10.06.2019 के अनुसार वार्डो की संख्या
1.	अजमेर	542321	60	80
2.	किशनगढ़	154886	45	60
3.	केकड़ी	41890	30	40
4.	विजयनगर	32124	25	35
5.	सरवाड़	20372	20	25
6.	ब्यावर	151152	45	60
7.	पुष्कर	21626	20	25

8.	टोंक	165294	45	60
9.	निवाई	37765	25	35
10.	टोडारायसिंह	23559	20	25
11.	मालपुरा	36028	25	35
12.	देवली	22065	20	25
13.	उनियारा	12551	15	20
14.	नागौर	105218	45	60
15.	लाडनूं	65575	35	45
16.	मेडतासिटी	46070	30	40
17.	कुचामनसिटी	61969	35	45
18.	परबतसर	15172	20	25
19.	नांवा	22088	20	25
20.	कुचेरा	23468	20	25
21.	मूण्डवा	16871	20	25
22.	डीडवाना	53749	30	40
23.	मकराना	94487	40	55
24.	डेगाना	20035	20	25
25.	भीलवाड़ा	359483	55	70
26.	शाहपुरा	30320	25	35
27.	जहाजपुर	20586	20	25
28.	माण्डलगढ	13844	15	20
29.	गंगापुर	18777	20	25
30.	आसीन्द	16611	20	25
31.	गुलाबपुरा	27215	25	35
32.	बीकानेर	644406	60	80
33.	नोखा	62699	35	45
34.	देशनोक	18470	20	25
35.	श्रीडूंगरगढ़	53294	30	40
36.	चूरू	120157	45	60
37.	रतनगर	12841	15	20
38.	सुजानगढ	101523	45	60
39.	सरदारशहर	95911	40	55

40.	छापर	19744	20	25
41.	बीदासर	35683	25	35
42.	रतनगढ	71124	35	45
43.	तारानगर	32640	25	35
44.	राजलदेसर	27419	25	35
45.	राजगढ (चूरू)	59193	30	40
46.	श्रीगंगानगर	237780	50	65
47.	सूरतगढ़	70536	35	45
48.	रायसिंह नगर	28330	25	35
49.	गजसिंपुर	9995	13	20
50.	केसरीसिंहपुर	14010	15	20
51.	श्रीकरणपुर	21297	20	25
52.	अनूपगढ़	30877	25	35
53.	श्रीविजयनगर	18425	20	25
54.	सादुलशहर	24980	20	25
55.	पदमपुर	18420	20	25
56.	हनुमानगढ़	150958	45	60
57.	संगरिया	36619	25	35
58.	नोहर	49835	30	40
59.	भादरा	40662	30	40
60.	रावतसर	35102	25	35
61.	पीलीबंगा	37288	25	35
62.	जयपुर	3053368	91	150
63.	चौमू	64417	35	45
64.	सांभर	22327	20	25
65.	चाकसू	33432	25	35
66.	कोटपूतली	49202	30	40
67.	फुलेरा	24991	20	25
68.	शाहपुरा	33895	25	35
69.	विराटनगर	20568	20	25

70.	जोबनेर	11354	15	20
71.	बगरू	31229	25	35
72.	किशनगढ–रेनवाल	29201	25	35
73.	अलवर	322568	50	65
74.	राजगढ	26631	25	35
75.	खेडली	17934	20	25
76.	तिजारा	24747	20	25
77.	खैरथल	38298	25	35
78.	बहरोड	29531	25	35
79.	भिवाड़ी	104921	45	60
80.	किशनगढ़–बास	20814	20	25
81.	भरतपुर	252838	50	65
82.	बयाना	38502	25	35
83.	भुसावर	19946	20	25
84.	डीग	44999	30	40
85.	कामां	38040	25	35
86.	कुम्हेर	23540	20	25
87.	नदबई	26411	25	35
88.	नगर	25572	25	35
89.	वैर	19385	20	25
90.	रूपवास	15735	20	25
91.	धौलपुर	133075	45	60
92.	बाड़ी	62721	35	45
93.	राजाखेड़ा	33666	25	35
94.	दौसा	85960	40	55
95.	बांदीकुई	44664	30	40
96.	लालसोट	34363	25	35
97.	महवा	24846	—	25
98.	सीकर	244497	50	65

99.	फतेहपुर– शेखावटी	92595	40	55
100.	नीमकाथाना	36231	25	35
101.	लक्ष्मणगढ़	53392	30	40
102.	रामगढ शेखावटी	33024	25	35
103.	श्रीमाधोपुर	31366	25	35
104.	खण्डेला	22756	20	25
105.	रींगस	28839	25	35
106.	लोसल	28504	25	35
107.	झुन्झुनू	118473	45	60
108.	विद्याविहार	15644	20	25
109.	पिलानी	29741	25	35
110.	बिसाऊ	23227	20	25
111.	नवलगढ़	63948	35	45
112.	चिडावा	43953	30	40
113.	बग्गड	14238	15	20
114.	खेतड़ी	18209	20	25
115.	मण्डावा	23335	20	25
116.	मुकुन्दगढ़	18469	20	25
117.	सूरजगढ़	21666	20	25
118.	उदयपुरवाटी	29236	25	35
119.	जोधपुर	1056191	65	100
120.	फलौदी	49914	30	40
121.	बिलाड़ा	39590	25	35
122.	पीपाडसिटी	36810	25	35
123.	जैसलमेर	65471	35	45
124.	पोकरण	23554	20	25
125.	बाडमेर	96225	40	55
126.	बालोतरा	74496	35	45
127.	सिरोही	39229	25	35
128.	आबूरोड	55599	30	40
129.	पिण्डवाड़ा	24487	20	25
130.	शिवगंज	28053	25	35
131.	माउन्ट आबू	22943	20	25

132.	पाली	230075	50	65
133.	सोजतसिटी	43023	30	40
134.	सादड़ी	27390	25	35
135.	बाली	19880	20	25
136.	तख्तगढ़	16729	20	25
137.	रानीखुर्द	13880	15	20
138.	जैतारण	22621	20	25
139.	फालना	24839	20	25
140.	सुमेरपुर	37093	25	35
141.	जालौर	54081	30	40
142.	सांचौर	32875	25	35
143.	भीनमाल	47932	30	40
144.	कोटा	1001694	65	100
145.	कैथून	24260	20	25
146.	सांगोद	21846	20	25
147.	रामगंजमण्डी	41328	30	40
148.	ईटावा	27344	25	35
149.	बूंदी	103286	45	60
150.	लाखेरी	29572	25	35
151.	केशवरायपाटन	24627	20	25
152.	नैनवा	19485	20	25
153.	कापरेन	20748	20	25
154.	इन्द्रगढ़	7444	13	20
155.	बांरा	117992	45	60
156.	अन्ता	32377	25	35
157.	मांगरोल	25073	20	35
158.	छबडा	32285	25	35
159.	झालावाड़	66919	35	45
160.	भवानीमण्डी	42283	30	40
161.	झालरापाटन	37506	25	35
162.	पिडावा	12807	15	20
163.	अकलेरा	26240	25	25
164.	सवाईमाधोपुर	121106	45	60
165.	गंगापुरसिटी	119090	45	60
166.	करौली	82960	40	55
167.	हिण्डौनसिटी	105452	45	60

168.	टोडाभीम	22977	20	25
169.	उदयपुर	451100	55	70
170.	कानोड	13239	15	20
171.	फतेहनगर	22812	20	25
172.	भीण्डर	17878	20	25
173.	सलूम्बर	16425	20	25
174.	बांसवाड़ा	101017	45	60
175.	कुशलगढ़	10666	15	20
176.	डूंगरपुर	47706	30	40
177.	सांगवाड़ा	29439	25	35
178.	चित्तौडगढ़	116406	45	60
179.	प्रतापगढ़	42079	30	40
180.	निम्बाहेडा	61949	35	45
181.	रावतभाटा	37699	25	40
182.	छोटीसादडी	18360	20	25
183.	बडी सादडी	15713	20	25
184.	कपासन	20869	20	25
185.	बेगू	20705	20	25
186.	राजसमन्द	67798	35	45
187.	देवगढ़	17604	20	25
188.	आमेट	17335	20	25
189.	नाथद्वारा	42016	30	40
190.	नसीराबाद	3572	—	20
191.	खाटूश्यामजी	13439		20
192.	परतापुरगढी	22500		25
193.	थानागाजी	21742		25

2. वार्डों के पुनर्गठन/पुनःसीमांकन कार्य के लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत किया गया है, जो संबंधित नगर नियोजक एवं अन्य स्टाफ का भी सहयोग लेकर कार्य करेगें। अधिसूचना की प्रति **परिशिष्ठ–2** पर संलग्न है।
3. निधारित वार्डो का जनसंख्या के आधार पर तालिका में दर्शायी गई, नगर पालिकाओं का पुनःसीमांकन करना है। इस संदर्भ में वार्डो का पुनःसीमांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा आपको परिपत्र क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/ दिनांक 10.06.2019 से शक्तियां प्रदत्त की है। उक्त अधिसूचना के अनुसार नियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए वार्डो का पुनःसीमांकन एवं पुर्नगठन नियत अवधि में करवाया जाना सुनिश्चित करे। इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना/आदेशों/निर्देशों का भी अवलोकन करावे।

4. चूंकि उक्त प्रत्यायोजन के अनुसार अब नगर पालिका/परिषद के वार्ड प्रस्ताव तैयार करना, वार्ड प्रस्तावों की जांच करना एवं उसके बाद वार्डो का राजपत्र में प्रारम्भिक प्रकाशन करना तथा वार्ड प्रस्तावों पर दावे एवं आपत्तिया का निपटारा कर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाना एवं वार्डो को अन्तिम कर राजपत्र में प्रकाशित करना आदि सभी कार्यवाही मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा ही की जावेगी। अतः वार्ड गठन के लिए आपको निम्न अनुदेश दिये जाते है:–

"अनुदेश"

1. प्रत्येक नगर पालिका में वार्ड नगर पालिका हेतु निर्धारित सीटो के अनुरूप होगे।
2. यह संभव नही है कि सभी वार्डों की जनसंख्या का अनुपात समान हो। इसके समायोजन हेतु आनुपातिक सीमा से जनसंख्या 10 प्रतिशत अधिक हो सकती है अथवा 10 प्रतिशत कम हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में सीमा का उल्लघंन नही किया जावे।
3. वार्डो की सीमाएं जहां तक संभव हो सड़क या गली के आधार पर निर्धारित की जावे और यदि इससे वार्ड का अनुपात बिगडता हो तो वार्ड रेखा काल्पनिक भी रखी जा सकती है।
4. नगर पालिका के वार्डो को बनाते समय यह सुनिचित कर लिया जावे कि कोई भी क्षेत्र वार्ड में से छूट न जावे।
5. वार्डो को इस प्रकार बनाये जो कि वार्ड लम्बे एवं सड़कनुमा नही हो तथा यह भी ध्यान रखे कि किसी वार्ड में कोई पाकेट न बन जाये।
6. वार्डो का गठन इस प्रकार किया जावे कि एक ही मकान दो वार्डो में विभाजित न हो पाये।
7. बडे शहरों में विधानसभा बाउण्ड्री को न तोडा जाये तथा दो विधानसभा क्षेत्रों के बाउण्ड्री का एक वार्ड न बनाया जावे।
8. नगर पालिका के वार्डो को पूर्ण रूप से पुलिस थाने की सीमा के साथ इस प्रकार बनाया जावे कि पूरा वार्ड एक थाने की सीमा में रहे। एक वार्ड दो अलग अलग पुलिस थाने की सीमा में विभाजित नही होना चाहिए।
9. नगर पालिका के वार्डो को यथा संभव विकास प्राधिकरण नगर/विकास न्यास के साथ इस प्रकार रखा जावे कि सम्पूर्ण वार्ड एक ही जोन में रहे।
10. नगर पालिका के वार्डो के गठन में उपायुक्त पुलिस के क्षेत्राधिकार के संबंध में इस प्रकार रखा जावे कि एक वार्ड अलग अलग पुलिस उपायुक्त/पुलिस स्टेशन में नही रहे।
11. नगर पालिका वार्डो के गठन में उपखण्ड अधिकारी, अति जिला कलेक्टर के क्षेत्राधिकार को भी ध्यान में रखते हुए इस प्रकार पुर्नगठित किया जावे कि सम्पूर्ण वार्ड एक ही क्षेत्राधिकार में रहे तथा उसमें पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी एवं डिस्कॉम के अभियन्ताओं के क्षेत्राधिकार के साथ भी समानता रखी जावे।
12. वार्डो का संख्याकनः– नगर पालिका में वार्डो का संख्याकन नगर पालिका के उत्तर पश्चिमी कोने से एनटीक्लोकवाईज प्रारम्भ करते हुए चक्रीय क्रम से किया जायेगा।

5. उक्त वार्डो के आरक्षण हेतु राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचक) नियम, 1994 बनाये गये है। आरक्षण उक्त नियमों एवं वर्ष 2004 में जारी विभिन्न आदेशों जिनकी प्रतियां आपको पूर्व में प्रेषित की गई है, के अनुसार किया जायेगा। वार्डो के संख्याकन एवं महिला आरक्षण आदि के लिये कार्य राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचक) नियम, 1994 के नियमों के प्रावधानों के अनुरूप ही करना है।

6. वार्ड प्रस्ताव की 5 प्रतियां (प्रारूप ''क''ख,ग, नक्शा) में तैयार की जावेगी। जिसमें:–
   - अ. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र विशेषांक में प्रकाशन हेतु विशेष वाहक द्वारा प्रेषित की जावेगी।
   - ब. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
   - स. संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी।
   - द. संबंधित नगर पालिका को कार्यालय उपयोग हेतु प्रेषित की जावेगी।

7. वार्ड प्रस्ताव तैयार करवाते समय आप नगर पालिका वार्ड प्रस्ताव संबंधित नगर पालिका बोर्ड/परिषद/निगम की सीमाओं व कार्यप्रणाली के अच्छी प्रकार से जानकार अधिकारी /कर्मचारी के द्वारा तैयार करवाये। इससे आपका कार्य सरल हो जायेगा।

8. वार्ड प्रस्ताव तैयार करवाते समय आप नगर पालिका की मतदाता सूची भी तैयार करने की प्रारम्भिक कार्यवाही करवा ले। अतः जब वार्ड प्रस्ताव आप द्वारा अन्तिम किये जायेगें तो उस समय आपको इस कार्य को दुबारा नही करना पडेगा। बडे शहरों में एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र समाविष्ट है। अतः वार्ड बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि विधानसभा क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन नही किया जावे।

कृपया निम्न कार्यक्रम के अनुसार समय पर कार्यवाही पूर्ण करे:–

क.सं.	विषय/गतिविधियाँ	कुल दिवस	नियत दिनांक
1	अधिशाषी अधिकारी/आयुक्तों द्वारा वार्डो में पुनर्सीमांकन के प्रस्ताव तैयार करना एवं प्रकाशन	25 दिवस	10.06.2019 से 04.07.2019
2	पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना एवं आपत्तियाँ प्राप्त करना	10 दिवस	05.07.2019 से 15.07.2019
3	वार्ड गठन प्रस्ताव मय नक्शे एवं प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किया जाना	6 दिवस	16.07.2019 से 22.07.2019
4	राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण एवं प्रस्तावों का अनुमोदन	15 दिवस	23.07.2019 से 06.08.2019
5	राज्य सरकार द्वारा पुनर्सीमांकन वार्डो का राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन	12 दिवस	07.08.2019 से 19.08.2019

उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार परिसीमांकन कार्य एवं वार्डो का आरक्षण पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य प्रगति से संबंधित पत्र संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को संबोधित किया जायेगा। उक्त दिशा निर्देश वार्डो के पुनःसीमांकन हेतु आपकी सुविधा हेतु दिये जा रहे है। परन्तु वार्डो का पुनः सीमांकन एवं पुर्नगठन करते समय इससे संबंधित नियमों एवं पूर्व में जारी निर्देशों का पूर्ण अध्ययन कर उन्ही के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करे।

आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एफ.10( )चुनाव/जन/स्वाशा/14/2196-2599
दिनांक: 10/6/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, उप शासन सचिव/आयुक्त पंचायत राज विभाग, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. समस्त संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर पालिका)।
8. अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक (प्रशासन), निदेशालय।
9. संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)/सी.एम.ए.आर., निदेशालय को निकायों में निर्वाचित सदस्यों एवं वार्ड सीमा क्षेत्र से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाये संकलित करते हुए केन्द्र सरकार को समय–समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु।
10. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय कृपया संबंधित जिला कलेक्टर से समन्वय कर निर्धारित समय में कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करे।
11. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका राजस्थान जयपुर।
12. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
13. समस्त नगर नियोजक, नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ राजस्थान।
14. अधीक्षक, राज्यकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
15. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
16. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी